राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांकः– नर्सिग/नर्स–2(F)/स्वै.से./एस–254/2019/ दिनांकः–

आदेश

श्रीमती शशिकला, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सपोटरा, करौली जिनकी जन्म तिथि 25.01.62 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 20.09.86 है, को उनकी स्वंय के प्रार्थना पत्र पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 नियम 50 (1) में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 01.10.2019 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

कार्मिका के विरूद्ध आज दिनांक तकः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नही है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नही है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

-sd-

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– नर्सिग/नर्स–2(F)/स्वै.से./एस–254/2019/ 1181 दिनांकः 1/10/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 3451/एम/एमएण्डएच/2019 दिनांक 26.09.2019 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 275/एसएम/एमएण्डएच/2019 दिनांक 20.09.2019 के संदर्भ मे
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज0 जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 6394/एसीएस/एम एण्ड एच/2019 दिनांक 26.09.2019 के संदर्भ में ।
4. उप शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई. डी क्रमांक 1699 दिनांक 20.09.2019 के संदर्भ में।
5. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवम स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली।
8. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सपोटरा, करौली ।
9. प्रभारी, डीपीसी (नर्सिंग) अनुभाग मुख्यालय।
10. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर